न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 961/2024

अनवान : –

1. निशा पुत्री रामस्वरूप नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सुमित्रा पत्न रामस्स्वरूप जाति जाट निवासी उज्जलवा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– **वादी**

बनाम्

1. रामस्वरूप पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
2. गुडी पत्नी कुरड़ाराम जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
3. राजेश पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक रामगढ़ तहसील नोहर।
6. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ शाखाा रामगढ़ उज्जलवास तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

श्री छोटूराम सहु अधिवक्ता **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांकः 07/04/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीया की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 399/376 के कुल खसरे 26 की कुल तादादी 6.4520 है० भूमि में से 1/27 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तथा 1/27 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। एवं खाता संख्या 325/313 के कुल खसरे 13 की कुल तादादी 3.2890 है० भूमि में से 1/9 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के व 1/9 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं खाता संख्या 397/375 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 1.0120 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादीया की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीया का जन्मजात हक हिस्सा है। कर्ता हिन्दुखानदान होने के कारण से उपरोक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज हो गई उपरोक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में वादीया का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब० हि० ब० ब० हक हिस्सा है तथा प्रतिवादीया संख्या 2 के नाम दर्ज भूमि में प्रतिवादीया संख्या 2 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/3 हिस्सा एवं वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 का ब० हि० ब० 1/3 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादीया का पिता है तथा प्रतिवादीया संख्या 2 जो वादीया की दादी है समस्त भूमि अपने अकेले के नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठा कर बिना जायज जरूरत के भू माफिया किस्म के लोगो को बेचान करना चाहते है तथा वादीया के उनके हक हिस्सा से वंचित करके रहन, वैय व मुन्तकिल करना चाहते है तथा भूमि को रहन बैय करने की सरेआम धमकी देते है यदि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.16 17:01:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नोहर

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपनी योजना में कामयाब हो जाते है तो वादीया के साथ घोर अन्याय होगा भूखा मरने की नोबत आ जायेगी तथा वादीया को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी भरपाई बाद में किसी भी सुरत में सम्भव नहीं है इसलिए वादीया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवाने की अधिकारी है कि वादग्रस्त कृषि भूमि रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 399/376 के कुल खसरे 26 की कुल तादादी 6.4520 है० भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 प्रत्येक के नाम दर्ज 1/27 हिस्सा भूमि एवं खाता संख्या 325/313 के कुल खसरे 13 की कुल तादादी 3.2890 है० भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 प्रत्येक के नाम दर्ज 1/9 हिस्सा भूमि एवं खाता संख्या 397/375 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 1.0120 है० भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 रहन, बैय व मुन्तकिल ना करे तथा मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 399/376 के कुल खसरे 26 की कुल तादादी 6.4520 है० भूमि एवं खाता संख्या 325/313 के कुल खसरे 13 की कुल तादादी 3.2890 है० भूमि एवं खाता संख्या 397/375 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 1.0120 है० भूमि तीनो खातों में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में वादीया को प्रतिवादी संख्या 1 अपने साथ ब० हि० ब० का बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा दे तथा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक के 1/3 हिस्सा एवं वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्त वादी ने निवेदन किया की बहस सुनी जावे। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश नही किया गया इसलिए जवाब बंद किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 व 2 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 व 2 [illegible] के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 399/376 के कुल खसरे 26 की कुल तादादी 6.4520 है० भूमि एवं खाता संख्या 325/313 के कुल खसरे 13 की कुल तादादी 3.2890 है० भूमि एवं खाता संख्या 397/375 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 1.0120 है० भूमि तीनो खातों में प्रतिवादी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.16 17:01:59 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के नाम दर्ज भूमि में वादीया को प्रतिवादी संख्या 1 अपने साथ ब० हि० ब० का बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा दे तथा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक के 1/3 हिस्सा एवं वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 399/376 के कुल खसरे 26 की कुल तादादी 6.4520 है० भूमि में से 1/27 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तथा 1/27 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। एवं खाता संख्या 325/313 के कुल खसरे 13 की कुल तादादी 3.2890 है० भूमि में से 1/9 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के व 1/9 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं खाता संख्या 397/375 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 1.0120 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि प्रतिवादी स0 1 ता 2 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि है जिसमें वादीया का जन्मजात हक हिस्सा है वादीया द्वारा पैतृक भूमि बाबत केवल कथन किया गया है कथनों के समर्थन में ऐसा कोंई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे साबित हो की उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि है।अत वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के अभाव मे साबित नही होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक ....07/04/26.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.16 17:01:59 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 961/2024

अनवान : –

1. निशा पुत्री रामस्वरूप नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सुमित्रा पत्न रामस्स्वरूप जाति जाट निवासी उज्जलवा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम्

1. रामस्वरूप पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
2. गुडी पत्नी कुरड़ाराम जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
3. राजेश पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक रामगढ़ तहसील नोहर।
6. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ शाखाा रामगढ़ उज्जलवास तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 961 सन 2024 निर्णय दिनांक 07/04/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ....07/04/26........ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.16 17:01:59 IST
Reason: SelfAttested